UPHM010004612026

<u>न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर</u>

सिविल प्रकीर्ण वाद सं०(टी०ए० प्रार्थनापत्र)–07/2026

बसन्ता (मृतक) आदि बनाम चन्द्रपाल

<u>दिनांक 04.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 4 क तथा विपक्षी की आपत्ति कागज संख्या 16 ग पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदकगण की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 4 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हमीरपुर में वाद संख्या 431/1994, बसन्ता बनाम चन्द्रपाल, आराजी नंबर 239 ब और चन्द्रपाल द्वारा भी एक वाद बसन्ता आदि के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हमीरपुर में वाद संख्या 350/1994, आराजी नंबर 233 का स्थायी व्यादेश के बाबत दाखिल किया गया था। उक्त दोनों वाद जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त डिक्री किये गये हैं। जिनके निष्पादन की कार्यवाही हेतु इजरा वाद संख्या 05/2024 व इजरा वाद संख्या 02/2026 अलग–अलग न्यायालय में लम्बित हैं। सम्बंधित न्यायालय अपने–अपने यहां लम्बित इजरा वाद के बारे में निष्पादन को कह रहे हैं तथा दूसरे न्यायालय की नकले पढ़ने से मना कर रहे हैं। जबकि दोनों वादों व इजराओं का नेचर एक ही है तथा विवादित भूमि एक–दूसरे से सटी है। ऐसी स्थिति में दोनों इजरा वादों का अलग–अलग निष्पादन होने से सही न्याय सम्भव नही है। अतः इजरा वाद संख्या 05/2024, चन्द्रपाल बनाम श्रीमती गोमती आदि व इजरा वाद संख्या 02/2026, बसन्ता आदि बनाम चन्द्रपाल को गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु किसी एक सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है। आवेदकगण द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र कागज संख्या 5 ग दाखिल किया गया है।

उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण की ओर आपत्ति कागज संख्या 16 ग मय शपथपत्र कागज संख्या 17 ग दाखिल करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि आवेदकगण ने निष्पादन की कार्यवाही को उलझाने के लिए स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र दिया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो वाद जिस न्यायालय द्वारा डिक्री किया जायेगा, वही न्यायालय अपने आदेश व डिक्री का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अन्य कोई न्यायालय उस आदेश/डिक्री के अनुपालन निष्पादन में हस्तक्षेप नही करेगा और न ही ऐसा करने का किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार हासिल है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि वादीगण चन्द्रपाल आदि द्वारा प्रतिवादीगण बसन्ता आदि के विरुद्ध सिविल जज (सी०डि०) हमीरपुर के न्यायालय में मूलवाद संख्या 350/1994, चन्द्रपाल आदि बनाम बसन्ता आदि दाखिल किया

गया था जो कि आराजी नंबर 233 रकबा 0.25 डि० व अक्षर अ,ब,स,द, एवं क,ख,ग,घ,च,छ के स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के बाबत योजित किया गया था तथा मूलवाद संख्या 350/1994 के प्रतिवादी बसन्ता द्वारा इसी वाद के वादी चन्द्रपाल के विरुद्ध भी एक वाद संख्या 431/1994, श्री बसन्ता बनाम श्री चन्द्रपाल, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हमीरपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया जो आराजी नंबर 239 रकबा 0.47 एकड़, स्थिति ग्राम चन्दौखी परगना सुमेरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर के सन्दर्भ में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु याचित किया गया था।

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हमीरपुर द्वारा मूलवाद संख्या 350/1994, श्री चन्द्रपाल आदि बनाम श्री बसन्ता आदि में दिनांक 07.11.2012 को निर्णय/आदेश पारित करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया गया कि वह वादपत्र के नक्शा नजरी में प्रदर्शित अक्षर अ,ब,स,द, एवं क,ख,ग,घ,च,छ में वादीगण की भूमि में हस्तक्षेप न करें। इसी तरफ न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हमीरपुर द्वारा वाद संख्या 431/1994, श्री बसन्ता बनाम श्री चन्द्रपाल में दिनांक 22.09.2014 को निर्णय/आदेश पारित करते हुए वादी के वाद को आज्ञप्त किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया गया कि वह आराजी नंबर 239 ब रकबा 0.47 एकड़ स्थित ग्राम चन्दौखी, परगना सुमेरपुर, तहसील व जिला हमीरपुर में वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों वाद अलग–अलग आराजी नंबर के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत दाखिल किये गये हैं और दोनों वादों को अलग–अलग क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा डिक्री किया गया। दोनों वादों में पक्षकारों की परिस्थितियाँ भी अलग–अलग हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में यह न्यायसंगत होगा कि जिस न्यायालय द्वारा जिस वाद में डिक्री पारित की गयी है, उसके डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही भी वही न्यायालय करे। अतः निष्पादन की कार्यवाही हेतु दाखिल इजरा वादों को एक ही न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायसंगत नही है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या (स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र) 07/2026, बसन्ता (मृतक) आदि बनाम चन्द्रपाल, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या (स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र) 07/2026, बसन्ता (मृतक) आदि बनाम चन्द्रपाल, निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक 04.05.2026</u>

(मनोज कुमार राय)
जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर
जे०ओ० कोड–यू०पी० 2004

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.05.04 12:23:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court